प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 29-01-2026 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1. दुष्कर्म के आरोपी को थाना मूंढापाण्डे पुलिस ने किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि दिनांक 28.01.2026 को वादिनी निवासी थाना मूढापाण्डे क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ दुष्कर्म करना तथा गाली गलोच करना व जाति सूचक शब्द कहकर जान से मारने की धमकी देने के सम्बंध में थाना मूंढापाण्डे पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना मूंढापाण्डे पर मु0अ0सं0- 0030/2026 धारा 64(1)/352/351(2) बी.एन.एस व 3(1)द/3(1)ध व 3(2)v एसीएसटी एक्ट पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 29.01.2026 को उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना मूंढापाण्डे द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त उवैश पुत्र दुल्हा निवासी ग्राम रामपुर भीला थाना मूंढापाण्डे जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2. शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को थाना कुन्दरकी पुलिस ने किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि दिनांक 29.01.2026 को वादी निवासी थाना कुन्दरकी क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को शांदी का झासा देकर जबरन दुष्कर्म करना, गाली-गलौच करना, मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बंध में थाना कुन्दरकी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कुन्दरकी पर मु0अ0सं0-0016/2026 धारा 69,351(3)115(2)352 बी.एन.एस पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 29.01.2026 को उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिहं थाना कुन्दरकी द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त कैफ पुत्र स्व0 हारुन निवासी ग्राम सेफपुर चित्तु थाना कुन्दरकी मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

3.नकली शराब बनाने की फेक्ट्री व नकली शराब बनाने के उपकरणों के साथ 05 अभियुक्तो को थाना डिलारी व आबकारी टीम द्वारा किया गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में आपराधिक घटनाओं के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी व आगामी त्यौहार होली के दृष्टिगत मादक पदार्थ/अवैध शराब के निर्माण,बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा के नेतृत्व में आज दिनांक 29.01.2026 थाना डिलारी पुलिस तथा आबकारी टीम द्वारा 05 अभियुक्तगण 1.संजय राघव पुत्र बीरपाल सिंह निवासी ग्राम पवासा थाना बहजोई जनपद सम्भल 2.चन्द्रशेखर पुत्र सतराम निवासी ग्राम पापडी थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोह 3.सचिन पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम बलदाना थाना गजरौला जिला अमरोहा 4.कैलाश पुत्र जगदीश शरण सैनी निवासी अम्बेडकर नगर थाना कटघर जिला मुरादाबाद 5.नरेश कुमार पुत्र नौबत सिहं निवासी कृष्णा कालौंनी गुलाबबाडी थाना कटघर जिला मुरादाबाद जिन्हें नकली शराब बनाने की फैक्ट्री व नकली शराब बनाने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरूद्ध बरामदगी के आधार पर थाना डिलारी पर मु0अ0सं0- 14/2026 धारा 60/63/72 आवकारी अधिनियम व 318(4),111(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम-</u>

1.संजय राघव पुत्र बीरपाल सिंह निवासी ग्राम पवासा थाना बहजोई जनपद सम्भल

2.चन्द्रशेखर पुत्र सतराम निवासी ग्राम पापडी थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोह

3.सचिन पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम बलदाना थाना गजरौला जिला अमरोहा

4.कैलाश पुत्र जगदीश शरण सैनी निवासी अम्बेडकर नगर थाना कटघर जिला मुरादाबाद

5.नरेश कुमार पुत्र नौबत सिहं निवासी कृष्णा कालौंनी गुलाबबाडी थाना कटघर जिला मुरादाबाद

<u>वांछित अभियुक्तगण का नाम-</u>

1. नासिर पुत्र मो0 अली निवासी परमानन्दपुर दभौरा मुस्तकम थाना आईटीआई काशीपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड
2. अनिल कुमार पुत्र जगदीश शरण सैनी निवासी अम्बेडकर नगर थाना कटघर जिला मुरादाबाद
3. अशोक पुत्र तुलाराम सैनी निवासी टिकली रोड ऊँची कोठी बहादुरपुर थाना बादशाहपुर जनपद गुडगांव हरियाणा

बरामदगी का विवरणः-

1. 02 अदद प्लास्टिक ड्रम, 02 अदद 50-50 लीटर क्षमता वाले जिसमें लगभग 100 बल्क लीटर स्प्रिट भरा हुआ है, 750 एम0एल0 क्षमता वाली शराब भरी बोतल बजीर ब्राण्ड चण्डीगढ मार्का 348 अदद, नैना ब्राण्ड चण्डीगढ मार्का 750 एम0एल0 वाली शराब भरी बोतल 120 अदद, 10 अदद क्वाटर 180एमएल क्षमता वाले शराब भरी बोतल काँच रायल स्टैग मार्का व 8 अदद क्वाटर 375एमएल क्षमता वाले शराब भरी बोतल काँच रायल स्टैग मार्का व 30 अदद 375 एमएल क्षमता वाली खाली बोतल काँच रायल स्टैग मार्का , 30 अदद 750 एमएल क्षमता वाली रायल स्टैग मार्का खाली बोतल काँच व 940 अदद ओल्ड माँक मार्का बोतल ढकक्न व 289 अदद बोतल ढकक्न रायल स्टैग मार्का व 1026 नकली क्यूआर कोड व 5-5 ली0 की प्लास्टिक दो अदद कैन में बनी शराब भरी कुल लगभग 8 वल्क लीटर व 1 अदद प्लास्टिक वाल्टी, 02 अदद प्लास्टिक डिव्वे ढक्कन वाले जिनमें बोतल ढक्कन भरे हैं। 15 वोरी प्लास्टिक खाली अलग-अलग रंग की।
2. एक मारूती सुजुकी कार स्विफ्ट डिजायर रंग सफेद फर्जी नम्बर प्लेट लगी।

पूछताछ विवरण

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग मिलकर हरियाणा राज्य से कम दामों शराब खरीद कर अपनी कार में रखकर उ0प्र0 में आकर महंगे दामों में शराब विक्रय कर देते हैं। आरटीओ व पुलिस से बचने के लिये हम लोग कार पर फर्जी नम्बर प्लेट बदल बदल कर लगा लेते हैं , उ0प्र0 में आगामी ग्राम पंचायत चुनाव होने के कारण शराब की अधिक मांग है जिसकी वजह से हम लोग शराब बेचकर अच्छा पैसा कमाते हैं। हम लोग उत्तराखण्ड से स्प्रिट भी क्रय करते हैं। उत्तराखण्ड से स्प्रिट उपलब्ध कराने की व्यवस्था मेरे साथी नासिर पुत्र मो0 अली निवासी परमानन्दपुर दभौरा मुस्तकम थाना आईटीआई काशीपुर जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड द्वारा की जाती है तथा हरियाणा में शराब क्रय करने की जिम्मेदारी हमारे साथी अशोक पुत्र तुलाराम सैनी निवासी टिकली रोड ऊँची कोठी बहादुरपुर थाना बादशाहपुर जनपद गुडगांव हरियाणा की रहती है तथा यहां मुरादाबाद तथा हमारा साथी अनिल कुमार पुत्र जगदीश शरण सैनी निवासी अम्बेडकर नगर थाना कटघर जिला मुरादाबाद द्वारा शराब की बोतलों के नकली ढक्कन, फर्जी क्यूआर कोड उपलब्ध कराता है। शेष बयान अपने वकील के माध्यम से कोर्ट मे देना बताया।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त नरेश कुमार पुत्र नौबत सिहं उपरोक्त –

1.मु0अ0स0- 92/2016 धारा 60 उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क/अबकारी अधिनियम, व 103/104 ट्रेड मार्क अधि0 व 272/273/411/414/420/467/468/471 भादवि थाना मैनाठेर मुरादाबाद

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सचिन पुत्र प्रीतम सिंह **उपरोक्त –**

1.मु0अ0स0- 70/2017 धारा 60/63 उत्तर प्रदेश उत्पाद शुल्क/अबकारी अधिनियम, व 420 भादवि थाना अमरोहा देहात जिला अमरोहा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कैलाश पुत्र जगदीश शरण सैनी उपरोक्त –

1.मु0अ0स0 – 404/14 धारा 272/273 भादवि व धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कटघर मुरादाबाद

2.मु0अ0स0 249/14 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना कटघर मुरादाबाद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त चन्द्रशेखर पुत्र सतराम **उपरोक्त –**

1.मु0अ0स0 – 500/20 धारा 60 आबकारी अधि0 चालानी थाना अमरोहा नगर जिला अमरोहा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम के सदस्य

1.आबकारी निरीक्षक सूर्यकान्त आबकारी क्षेत्र 03 जिला मुरादाबाद
2.आबकारी निरीक्षक श्री अमित कुमार प्रवर्तन दल जिला मुरादाबाद
3.आबकारी निरीक्षक श्री अरुण कुमार सैक्टर 04 जिला मुरादाबाद
4.उ0नि0 श्री घनश्याम गौतम थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
5.उ0नि0 श्री आदित्य वर्मा थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
6.है0का0 अरूण कुमार थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
7.का0 अंकित चौहान थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
8.का0 तेजपाल थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
9.प्रधान आबकारी सिपाही श्री सुनील कुमार क्षेत्र-03 जिला मुरादाबाद
10.आबकारी सिपाही मौ0 मुजम्मिल प्रवर्तन दल जिला मुरादाबाद

4. जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 06 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

शांति व्यवस्था भंग में की गयी कार्यवाही का विवरणः-

थाना कटघर- 01, थाना गलशहीद- 01, थाना भगतपुर-01, थाना बिलारी-01, थाना मैनाठेर-02